

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं.प. 1(3)कार्मिक/क-2/2010/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 02/04/2024

शुद्धिपत्र

विषय:- इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 1(3)कार्मिक/क-2/2010/पार्ट दिनांक 16.03.2024 द्वारा जारी राजस्थान न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2024।

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.03.2024 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 28.03.2024 के भाग 4(ग) उप खण्ड (I) में जी.एस. आर. 206 के अधीन पृष्ठ 1151 से 1168 (हिन्दी पाठ) पर प्रकाशित राजस्थान न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2024 के विद्यमान निम्न नियम (1) के उप-नियम (2) -

“(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।”

को निम्नानुसार पढ़ा जावें-

“(2) ये, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 49 और 50 के संशोधन के सिवाय, जो 01.01.2020 से प्रवृत्त होंगे, इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।”

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

34/2024